राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1733/2010/बांसवाड़ा.

मैसर्स मैप्स एसोसियेट्स, 6, स्वरगंधा अपार्टमेंट,
448, गोखले रोड़, शिवाजी नगर, पुणे (महाराष्ट्र). .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, बांसवाड़ा. .....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. सी. अग्रवाल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/07/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 44/आरएसटी/एनआरडी/06–07 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.03.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, बांसवाड़ा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2006 को एन.एच.–8, खेरवाड़ा, उदयपुर के पास वाहन संख्या आर.जे. 19/1जी–5610 को चैक किये जाने पर वाहन में परचून माल भिवाड़ी (अलवर) से पूणे (महाराष्ट्र) के लिये परिवहन किया जा रहा था। वाहन चालक/माल प्रभारी ने माल से सम्बन्धित एक्सप्रेस कारगो कैरियर्स पुणे का चालान संख्या 462 दिनांक 28.08.2006, कंसाइनमेंट नोट संख्या 12988 दिनांक 28.08.2006 प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि माल का शाहजहांपुर चैकपोस्ट से ट्रांजिट पास संख्या 01182115232 दिनांक 29.08.2006 बनवाया गया है, जिसके अनुसार माल का परिवहन दिल्ली से पुणे के लिये किया जा रहा है। जबकि दस्तावेज भिवाड़ी से पुणे के बनाये गये हैं। माल के

लगातार.....2

साथ जारी इन्वॉयस अपीलार्थी व्यवहारी के लैटरहैड पर बनाया गया है, जिसमें 12.5 प्रतिशत की दर से वैट भी चार्ज किया गया है। उक्त इन्वॉयस में इन्वॉयस संख्या एवं व्यवहारी के टिन नं0 अंकित नहीं हैं। अतः व्यवहारी की करापवंचन की मंशा मानते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा जारी किया गया कि व्यवहारी राज्य में पंजीकृत है। उनके द्वारा भूलवश लैटरहेड पर इन्वॉयस जारी कर दिया गया। माल का स्टॉक ट्रांसफर के तहत परिवहन किया जा रहा था, विक्रय नहीं था। जानकारी नहीं होने के कारण घोषणा प्रपत्र संलग्न नहीं किया गया। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में विधिक प्रावधानों की अवहेलना एवं करापवंचन की मंशा मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,26,580/— एवं वेट रूपये 48,123/— कुल रूपये 1,74,703/— का आरोपण आदेश दिनांक 08.09.2006 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2010 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। अपीलार्थी राज्य का पंजीकृत व्यवहारी है। व्यवहारी के लिपिक द्वारा भूलवश लैटरहेड पर इन्वॉयस जारी कर दिया। माल का परिवहन स्टॉक ट्रांसफर के तहत किया जा रहा था तथा जानकारी के अभाव में घोषणा प्रपत्र वैट—49 संलग्न नहीं किया गया। शाहजहांपुर चैकपोस्ट पर माल की टी.पी. बनवाई गई, जिसमें माल का परिवहन दिल्ली से पुणे के लिये किया जाना प्रदर्शित किया गया, जो कि चैकपोस्ट कर्मचारियों की त्रुटि से किया गया तथा इसमें उसकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। परिवहनित माल वापसी के तहत जा रहा था, कोई सेल नहीं थी। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड का न्यायिक दृष्टान्त **2009 (25) टैक्स अपडेट 296 वाणिज्यिक कर अधिकारी, डूंगरपुर बनाम मैसर्स फखरी स्टील ट्रेडर्स, भीलवाड़ा** प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने शास्ति आदेश एवं अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि माल का परिवहन भिवाड़ी से पुणे के लिये किया जा रहा था, स्वयं व्यवहारी ने अपने जवाब में कथन किया कि माल का परिवहन स्टॉक ट्रांसफर के तहत किया जा रहा था, जिसके साथ घोषणा प्रपत्र वैट—49 संलग्न किया जाना आवश्यक था, जो कि ना तो वक्त जांच पाया गया एवं ना ही जवाब के साथ संलग्न किया गया। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस. टी.सी. 611 मैसर्स डी. पी. मैटल्स एवं (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज** में प्रतिपादित सिद्धान्त के विरूद्ध है। अग्रिम कथन किया कि माल का बिल व्यवहारी के लैटरहेड पर जारी किया गया है, जिसमें 12.5 प्रतिशत की दर से वेट भी चार्ज किया गया है, जबकि व्यवहारी द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि यह विक्रय ना होकर माल वापसी थी। अतः इस बिन्दु पर भी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा प्रमाणित होती है। माल के परिवहन हेतु चैकपोस्ट शाहजहांपुर से टी.पी. बनवाई गई है, जिसके अनुसार माल का परिवहन दिल्ली से पुणे के लिये किया जाना पाया गया, जबकि माल का परिवहन भिवाड़ी से पुणे के लिये किया जा रहा था। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना एवं मिथ्या दस्तावेजों से माल परिवहन किया जाना प्रमाणित होता है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति व वैट आरोपित किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में सक्षम अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवहनित माल कार्य संविदा में निष्पादन के पश्चात बच जाने के फलस्वरूप वापस भिजवाया जा रहा था, किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि परिवहनित माल कार्य संविदा में प्रयुक्त होने हेतु पुणे से भिवाड़ी आयात किया गया था। विवादित माल के राज्य में आयात किये जाने के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा ना तो सक्षम अधिकारी के समक्ष, ना अपीलीय अधिकारी के समक्ष एवं ना ही कर बोर्ड के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जवाब कि भूलवश

लगातार.....4

लैटरहैड पर इन्वॉयस जारी कर दिया गया, भूलवश वैट चार्ज कर लिया गया, माल का स्टॉक ट्रांसफर था तथा भूलवश घोषणा प्रपत्र वेट–49 संलग्न नहीं किया गया, भूलवश माल का चालान दिल्ली से पुणे का बनवाया गया, जबकि परिवहन भिवाड़ी से दिल्ली का किया जा रहा था। उक्त समस्त तथ्य व्यवहारी की विधिक अज्ञानता को प्रदर्शित करते हैं, जिसके आधार पर शास्ति का आरोपण न्यायोचित नहीं माना जा सकता। वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेज तथा व्यवहारी का जवाब परस्पर विरोधाभासी हैं, जिसमें एक तथ्य मानने योग्य यह है कि विवादित माल कार्य संविदा में प्रयुक्त उपरान्त बच जाने के फलस्वरूप पुनः लौटाया जा रहा था। किन्तु यह प्रमाणित करने का भार व्यवहारी पर है कि परिवहनित माल कार्य संविदा में उपयोग के पश्चात बच जाने के फलस्वरूप वापस लौटाया जा रहा था, कोई विक्रय या स्टॉक ट्रांसफर नहीं था।

7. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा विवादित माल के सम्बन्ध में यह प्रमाणित करने पर कि उक्त माल विक्रय अथवा स्टॉक ट्रांसफर ना होकर, कार्य संविदा में उपयोग उपरान्त बच जाने के फलस्वरूप वापस भिजवाया जा रहा था, तो आरोपित वैट व शास्ति अपास्त की जावे। व्यवहारी द्वारा इस बाबत सक्षम अधिकारी के संतोष के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में शास्ति आदेश दिनांक 08.09.2006 से आरोपित शास्ति एवं वैट यथावत रहेंगे। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 29/08/2016 को सक्षम अधिकारी के समक्ष वांछित दस्तावेज एवं साक्ष्य के साथ उपस्थित होंगे।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्तानुसार सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

06/07/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य